



हि०प्र० अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम, सोलन
कल्याण भवन, नजदीक मोहन पार्क, सोलन - 173212

ऋण तथा अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र। (अम्बेदकर लघु ऋण योजना के अन्तर्गत)
निगम पंजीकरण सं०-----
विकास खण्ड-----
पंचायत-----

सेवा में

जिला प्रबन्धक,
हि०प्र० अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति विकास निगम,

आवेदक का
सक्षम अधिकारी
द्वारा सत्यापित
फोटो

महोदय,

मे ----- (परियोजना का नाम) व्यवसाय करना चाहता/चाहती हूँ। जिस पर कुल-----रूपये लागत आयेगी। इसके लिए निगम से नियमानुसार ऋण/पूजी अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ मेरा विवरण निम्न है :—

1. नाम :-----
2. पिता/पति का नाम:-----
3. आयु :-----
4. शिक्षा स्तर :-----
5. अनुसूचित जाति /जनजाति का नाम(फटक करें)-----
6. परिवार के मुखिया का नाम-----
7. परिवार की वर्तमान वार्षिक आय-----
8. यदि परिवार आई०आर०डी०पी०सूची में चयनित है तो-----
(क) क्रम संख्या-----
(ख) सूची तैयार करने का वर्ष-----
9. (क) वर्तमान पता :
गाँव -----डा०----- तह०-----
जिला-----हि०प्र० पिन-----
(ख) स्थाई पता
गाँव-----डाकघर-----तहसील-----
जिला-----हि०प्र० पिन-----
10. आवेदक अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्य द्वारा इस निगम की किसी योजना अथवा आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत प्राप्त सहायता का विवरण।
(क) लाभार्थी का नाम-----
(ख) विभाग जहाँ से सहायता प्राप्त की -----
(ग) ऋण संस्थान/बैंक का नाम-----
(घ) उद्देश्य-----
(ङ) सहायता प्राप्त करने की तिथि-----
(च) बकाया ऋण-----

(उस क्षेत्र में कार्यरत बैंकों, सरकारी सभाओं इत्यादि का अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें)

11 जमानतदार का नाम-----
 पिता/पति का नाम-----
 पता-----

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी पूर्ण जानकारी और निष्ठा के अनुसार सत्य और सही हैं तथा ऋण सम्बन्धी इकरारनामा तथा जमानतनामा ऋण स्वीकृति पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ :-----

- (1) मैं ऋण तथा अनुदान की राशि मंजूर की गई स्कीम (परियोजना) के लिए ही इस्तेमाल करूंगा करूंगी ।
- (2) मैं किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का/की ऋण दोषी नहीं हूँ ।
- (3) यदि दी गई कोई भी सूचना झूठी अथवा गलत पाई जाये या ऋण व अनुदान/सबसीडी के किसी भी भाग का उपयोग उचित रूप से उसी स्कीम(परियोजना) पर न किया गया हो जिसके लिए ऋण/अनुदान प्राप्त किया गया है तो मैं प्राप्त समस्त राशि को निर्धारित ब्याज एवं दण्ड ब्याज सहित एक मुश्त लौटाने का वचन देता/देता हूँ
- (4) ऋण/अनुदान राशि के उचित उपयोग की जाँच हेतु मैं निगम के अधिकारी/कर्मचारी को अपने लेखों एवं सम्पत्ति के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करूंगा/करूंगी ।

1 जमानतदार के हस्ताक्षर----- आवेदक के हस्ताक्षर-----
 पूर्ण पता----- दिनांक-----

2. जमानतदार के हस्ताक्षर-----
 नाम व पता-----

तस्दीक

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी-----
 पुत्र/पुत्री/पत्नी-----निवासी गाँव/मुहल्ला-----को
 मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ । वह हिमाचल का स्थाई निवासी है
 और----- (जाति/जनजाति का नाम) अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्ध
 रखता/रखती है ।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी-----के परिवार की समस्त
 साधनों से वार्षिक आय-----रूपये से अधिक नहीं है और
 श्री/श्रीमति/कुमारी-----ने इस आवेदन पत्र पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं /अंगूठा
 लगाया है ।

तस्दीककर्ता के हस्ताक्षर-----
 नाम-----
 पदनाम-----

(मोहर सहित)

नोट:--उपरोक्त प्रमाण पत्र कार्यकारी दण्डाधिकारी/मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए ।

सलग्नक: 12. . प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने है ।

1. आय व जाति प्रमाण पत्र
2. हिमाचली प्रमाण पत्र
3. पूँजी अनुदान प्राप्ति प्रमाण पत्र (निधारित प्रपत्र पर)
4. बैंक तथा सोसाईटी से अनादेय (नो डियूज) प्रमाण पत्र
5. सीमांत धन ऋण की स्थिति में जमानतनामा व ऋण इकरारनामा ।

निगम की स्वीकृति
खण्ड 'क'

मैने प्रार्थना पत्र की पूरी तरह जाँच कर ली है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित सूचना मेरे निरीक्षण/जानकारी के अनुसार सही है। मैने इसके समस्त प्रावधान व निगम के नियम प्रार्थी को स्पष्ट बता दिय हैं तथा निम्न राशि की सिफारिश करता हूँ :—

1. मशीनरी/उपकरण का नाम तथा लागत—प्रत्येक
मशीनरी/उपकरण का नाम तथा लागत लिखे

2. भवन निर्माण:
(क) निर्माण का प्रकार _____
(ख) कुल क्षेत्रफल _____
(ग) लागत _____
3. कार्यगत पूँजी—
जिन मदों पर इस्तेमाल होगी उसका ब्यौरा:—
(क) _____ (ख) _____ (ग) _____
4. अन्य _____
5. कुल परियोजना लागत _____
6. ऋण _____ अनुदान _____ लाभार्थी का भागांश _____

हस्ताक्षर सम्बन्धित कर्मचारी/क्षेत्रीय सहायक
जिला _____

खण्ड 'ख'

उक्त प्रार्थी के पक्ष में निगम द्वारा _____ परियोजना हेतु निम्न प्रकार से कुल _____ रूपये ऋण तथा _____ रूपये अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. राष्ट्रीय निगम सावधि ऋण : _____
2. पूँजी अनुदान : _____
3. अन्य : _____

कुल : _____

ऋण तथा अनुदान का प्रयोग खण्ड (क) में लिखी मदों पर ही किया जाएगा। ऋण की वापसी मासिक किस्त के रूप में अधिकतम _____ वर्षों तक करनी होगी। ऋण पर _____ प्रतिशत ब्याज लाभार्थी को अदा करना होगा तथा ऋण वापसी की चूक की शर्त में अतिदेय राशि पर सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त _____ प्रतिशत दण्ड ब्याज भी लिया जाएगा।

जिला प्रबन्धक,
हि0प्र0अनु0जाति एवं अनु0जनजाति विकास निगम,
_____ हिमाचल प्रदेश।